न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी— श्री राजेन्द्र विजय (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 02/2021

बउनवान

हरबाई पुत्री स्व. पूरणमल आयु 46 साल निवासी मानपुरा पत्नि पप्पू हाल निवासी सेवनखेड़ी, तीतरखेड़ी तह. छबड़ा जिला बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील इन्तकाल नं0 288 दिनांक 19.07.2009, 11.01.2010 वाके ग्राम मानपुरा अन्तर्गत धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :—1. श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक— 30.09.2021

1— अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट के पिता पूरण के खाते की आराजीयात ग्राम मानपुरा तहसील बारां में खसरा नंबर 354/134, 72, 134/312 कुल किता 3 रकबा 2.02 है. आराजीयात ग्राम मानपुरा में स्थित है। उनकी मृत्यु के पश्चात इन्तकाल नं. 288 दिनांक 19.07.2009 तस्दीक किया गया। जिसमें अपीलांट का नाम तस्वीरबाई अंकित कर दिया गया जबकि वास्तव में अपीलान्ट का नाम हरबाई है। उक्त गलती को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थिया को गलत नाम दर्ज होने की जानकारी दिनांक 01.10.2020 को हुई जब अपीलान्ट अपने हिस्से की आराजी पर किसान कार्ड बनाने बैंक गयी। अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकन हो जाने के कारण अपीलान्ट को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री किसान योजना की राशि भी अपीलान्ट को नहीं मिल पा रही है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलान्ट का नाम तस्वीरबाई की जगह हरबाई किये जाने का आदेश रेस्पोडेन्ट को दिया जावे। इन्तकाल नं. 288 ग्राम मानपुरा में संशोधन किये जाने का आदेश फरमावें।

2— इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्रति प्राप्त होने पर पक्षकार अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.11.10 10:49:12 IST
Reason: SelfAttested

3— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांट के पिता पूरण के खाते की आराजीयात ग्राम मानपुरा तहसील बारां में खसरा नंबर 354/134, 72, 134/312 कुल किता 3 रकबा 2.02 है. आराजीयात ग्राम मानपुरा में स्थित है। उनकी मृत्यु के पश्चात इन्तकाल नं. 288 दिनांक

जिला कलेक्टर

19.07.2009 तस्दीक किया गया। जिसमें अपीलांट का नाम तस्वीरबाई अंकित कर दिया गया जबकि वास्तव में अपीलान्ट का नाम हरबाई है। अपीलांट के आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड में अपीलांट का नाम हरबाई है। ग्राम पंचायत तिसाया द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 10.06.2020 में भी अपीलांट का नाम तस्वीर गलत होना बताते हुए सही नाम हरबाई होना बताया है। इंतकाल नं0 288 के दौरान अपीलांट के नाम में त्रुटि होने के कारण वर्तमान जमाबन्दी में बतौर खातेदार कृषक गलत नाम होने के कारण क्रेडिट कार्ड व अन्य योजनाओ का लाभ लेने से अपीलांट वंचित हो रही है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, अपीलान्ट का नाम तस्वीरबाई की जगह हरबाई किये जाने का आदेश प्रदान करें।

4— पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि हस्तगत प्रकरण नामान्तरण की में हुई त्रुटि का नही है बल्कि नामान्तरण पश्चात रेकार्ड में हुई त्रुटि की दुरूस्ती हेतु पेश किया गया है। रेकार्ड में प्रविष्टि करते समय सहवन से अपीलांट का नाम तस्वीरबाई पुत्री पूरण अंकित हो गया है जबकि पटवारी रिपोर्ट में अंकित शजरा में हरजीबाई दर्ज है।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया जिससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा इंतकाल नं0 288 के आधार पर राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि के दौरान हरजीबाई के स्थान पर तस्वीरबाई अंकित कर दिया। जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् यथा आधार कार्ड, वोटर आई.डी., राशन कार्ड एवं प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत तिसाया दिनांक 10.06.2020 में अपीलांटा का नाम हरबाई अंकित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा मृतक पूरण के फौती इन्तकाल से की गई प्रविष्टि में अपीलांटा के नाम गलत दर्ज किया गया है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 288 दिनांक 11.01.2010 वाके ग्राम मानपुरा तहसील—बारां निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं रेकार्ड से अपीलांट के वास्तविक नाम की जॉच कर, सहीं इन्तकाल दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.11.10 10:49:12 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर,बारां